

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

पत्र-६

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) केम्प

-: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी म. ह. सुदिवा
 व भू.अ.नि. म. ह. सुदिवा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार रे. ल. भ. र. र. / नायब
 तहसीलदार रे. ल. भ. र. र. की अनुसारा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम
 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम स. ब. ब. राजपुरा तहसील रे. ल. भ. र. र. व
 जिला राजसमन्द की जमावन्दी संवत् २०७७ में खाता संख्या ११ में
 वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल
 दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-


क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
०१	स. ब. ब. राजपुरा	११	SBBJ राजपुरा	SBI ६ रिवा राजपुरा


 पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, _____
राजसमन्द

क्रमांक:- 167
 प्रतिलिपि :-

दिनांक :- **3 OCT 2025**

1. तहसीलदार को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अनल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावें।
2. प्रार्थी श्री को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।


 पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
 लोक अदालत
 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, _____